सं. 21/135/2014-एमएण्डजी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली
दिनांक-21 जुलाई, 2014

श्री संतोष कुमार, (याचिकाकर्ता)
ग्राम-पोथा. डाक-पोथी,
तहसील-गभाना. जिला-अलीगढ़-202136,
(उत्तर प्रदेश)

बनाम

श्री आषुतोष जैन, निदेशक (सीएस-II), (प्रतिवादी)
गृह मंत्रालय,
एनडीसीसी-II भवन. जय सिंह रोड,
नई दिल्ली ।

के मामले में

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपकी दिनांक 01.05.2014 की अपील के बारे में।

मुझे आपके दिनांक 09.12.2013 के पूर्व आरटीआई अभ्यावेदन के संबंध में आपकी दिनांक 01.05.2014 की प्रथम अपील का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि अपेक्षित सूचना आपको प्रदान नहीं की गई है।

2. जबकि उपर्युक्त आरटीआई आवेदन के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि आरटीआई आवेदन की मद सं. 7,13 एवं 14 के संबंध में सूचना प्रदान किये जाने लिए गृह मंत्रालय के आरटीआई सैल के माध्यम से उनके दिनांक 4 जून, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-43020/01/2014-आरटीआई के तहत अग्रेषित यह आवेदन आपकी दिनांक 01.05.2014 की प्रथम अपील के साथ संलग्न इस कार्यालय में प्राप्त हुआ पाया गया है।

3. जबकि, पैरा-वार उत्तर निम्नवत् है -

पैरा संख्या	उत्तर
7.	अपेक्षित सूचना वेबसाइट अर्थात् www.mha.gov.in पर उपलब्ध है। तथापि मंत्रियों के लिए आचार संहिता की अद्यतन प्रति संलग्न है।
13.	राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम, 1951 के अनुसार राष्ट्रपति की परिलब्धि प्रति माह 1,50,000 रुपये है। प्रधानमंत्री, केबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों के ब्यौरे की एक प्रति संलग्न है।
14.	राज्य सभा में 12 सदस्यों का नामांकन भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(1) एवं 80(3) में निहित प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

4. उपर्युक्त के मद्देनजर अपील का निपटान किया जाता है।

एस सुरेश कुमार

(एस. सुरेश कुमार)
संयुक्त सचिव (सीएस)/ और
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. श्री एस. सामंत, अवर सचिव, आरटीआई सैल, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 04.06.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-43020/01/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

2. अनुभाग अधिकारी (IT), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली